प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन झारखण्ड के सरकारी कंपनियों की 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंध रखता है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी गयी सरकारी कम्पनियाँ भी सम्मिलित) के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा सत्यापित किये लेखे सीएजी के अधिकारियों द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन है और सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर सीएजी अपनी टिप्पणियाँ या पूरक टिप्पणी देते हैं। इसके अलवा, ये कम्पनियाँ सीएजी द्वारा नमुना लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

सरकारी कम्पनी या निगम के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अंतर्गत झारखण्ड के राज्य विधायिका के समक्ष उपस्थापित करने हेतु सीएजी द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2015-16 के दौरान लेखों की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आए, साथ-साथ वे जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए, किंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके; 2015-16 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझे गए, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।